

सं.के-22019/3/2018-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
ईओयू अनुभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक 18 सितंबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 12 सितंबर, 2018 को आयोजित ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 4^{थी} बैठक (2018 सीरीज) का कार्यवृत्त ।

अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 12.09.2018 को आयोजित ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की 4^{थी} बैठक (2018 सीरीज) के कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट इस विभाग को अग्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक : यथोपरि

(जी.श्रीनिवासन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23062496
ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1. औद्योगिक एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)]/ डीजीईपी, वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी [सदस्य (आय कर)], वित्त मंत्रालय
4. डीजी, डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय
8. सभी डीसी

प्रतिलिपि : सचिव के पीएसओ/एएस (बीबीएस) के पीपीएस/उप सचिव (एसएनएस) के निजी सचिव

12.09.2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कमरा सं.108 ,उद्योग भवन, नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की 4^{थी} बैठक (2018 सीरीज) का कार्यवृत्त

4.1 (18) 19.06.2008 को आयोजित 3^{री} (2018 सीरीज) बैठक के मिनटों की पुष्टि।

बीओए ने 19.06.2018 को आयोजित अपनी 3^{री} बैठक के मिनटों की पुष्टि की

4.2 (18) मैसर्स निकी इण्डिया फ्यूल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, एमईपीजेड के तहत एक ईओयू- एफटीपी के पैरा 6.01(के)के संदर्भ में वस्तुओं के समेकन के लिए अनुमति के लिए प्रस्ताव।

बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद, मैसर्स निकी इण्डिया फ्यूल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सहायक भागों अर्थात 'ओ-रिंग' एवं 'गैस्केट स्पेसर' के उनके विनिर्मित उत्पाद अर्थात 'कारबरेटर' के साथ को समेकन के रूप में निर्यात हेतु अनुमति के लिये इस शर्त के अधीन अनुमोदित कर दिया है कि सहायक भागों अर्थात 'ओरिंग' एवं 'गैस्केट स्पेसर' का मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष अर्थात 2017-18 में विनिर्मित वस्तु अर्थात 'कारबरेटर' के एफओबी मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

कार्रवाई: एमपीईजेड)

4.3 (18) मैसर्स एयरिस फार्मा प्रा. लिमिटेड, वीएसईजेड के तहत एक ईओयू- 25.7.2018 से 24.7.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति के पत्र की वैधता के विस्तार के लिए प्रस्ताव

बोर्ड ने वीएसईजेड के तहत ईओयू की एलओपी की वैधता के विस्तार के लिए मैसर्स एयरिस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किया और 25.7.2018 से 24.7.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एलओपी की वैधता का विस्तार के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

(कार्रवाई: वीएसईजेड)

4.4 (18) मैसर्स वेलनर (इंडिया) प्रा लिमिटेड एमईपीजेड के तहत एक ईओयू- 5 साल की अगली अवधि के लिए अपनी ईओयू की स्थिति के नवीनीकरण के लिए बीओए की मंजूरी के लिए प्रस्ताव।

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने एफटीपी (विदेश व्यापार नीति) और एचबीपी (प्रक्रियाओं की पुस्तिका) में निर्धारित प्रावधानों के अधीन अगले 5 साल की अवधि के लिए मैसर्स वेलनर (इंडिया) प्रा लिमिटेड, एमईपीजेड के तहत एक ईओयू के प्रस्ताव को उनके ईओयू की स्थिति के नवीनीकरण के लिए बीओए के अनुमोदन के लिए मंजूरी दे दी। बोर्ड ने यह भी देखा कि प्रस्ताव विकास आयुक्त की शक्तियों के भीतर प्रतीत होता है जो अपने स्वयं के स्तर पर भविष्य में अपनी शक्तियों को परिश्रमपूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं।

भाग II

1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार बीओए के अनुसमर्थन

के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया

क	जून, 2018 से जुलाई, 2018 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन दिए गए।	वीएसईजेड
ख	01.06.2018 से 01.08.2018 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन दिए गए	सीपज

नोट : अनुमोदित प्रस्तावों का विवरण अनुबंध -1 पर है

दिनांक 12.09.2018 को प्रातः 11.30 बजे कमरा सं. 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित ईओयू स्कीम के लिये अनुमोदन बोर्ड की 4^{थी} बैठक (2018 सीरीज) हेतु प्रतिभागियों की सूची ।

1. डॉ अनुप वधावन वाणिज्य सचिव - अध्यक्ष
2. श्री आलोक वर्धन चतुर्वेदी, डीजी, डीजीएफटी, राजस्व विभाग
3. श्री बिद्युत बेहारी स्वैन, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग
4. श्री आरएम मिश्रा, एएस एंड डीसी, एमएसएमई
5. श्री संजय बंसल अपर डीजीईपी, राजस्व विभाग
6. श्री सरोज के बेहरा, संयुक्त निदेशक, डीजीईपी, राजस्व विभाग
7. विनय शील गौतम, यूएस, सीबीडीटी, राजस्व विभाग।

विकास आयुक्तों की सूची

1. डॉ एल बी सिंगहल, विकास आयुक्त, एनएसईजेड
2. श्री उपेंद्र वशिष्ठ, विकास आयुक्त, केएसजेड
3. डॉ एमके शनमुगा सुंदरम, विकास आयुक्त, एमईपीजेड और सीएसईजेड
4. श्री बलदेव सिंह, विकास आयुक्त, सेपेज़ सेज
5. सुश्री शोभना केएस राव, विकास आयुक्त, वीएसईजेड
6. श्री ईश्वर सिंह, विकास आयुक्त, आईएसईजेड
7. डॉ श्रीरामप्पा वी, उप विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड

अनुबंध- I

क्षेत्र	यूनिट का नाम	विनिर्माण कीमते	एलओपी तिथि
वीएसईजेड	(1) मैसर्स स्लेबैक फार्मा इंडिया एलएलपी, 2 ^{री} मंजिल, सुइट सं बी -22, बिल्डिंग 2700, तक्षिला एमएन पार्क, क्रम सं 101, 101/2 और 340, लालगाड़ी मालकपेट गांव, शमीरपेट, तेलंगाना	वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श सेवाओं के प्रावधान के लिए डीटीए यूनिट का 100% ईओयू में रूपांतरण।	07.06 .2018
	(2) मैसर्स माइलान लेबोरेटरीज लिमिटेड, प्लॉट नं5, रोड नं12, जेएन फार्मा सिटी, तादी गांव, परवाड़ा मंडल, विशाखापत्तनम।	प्राथमिक बैटरी से जुड़े टूल्स, जिग्स और फिक्स्चर	04.07 .2018
सीपूज	(1) मैसर्स वर्सा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्रा लिमिटेड	प्लास्टिक के खिलौने	01.08 .2018